भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 4086

उत्तर देने की तारीख: 17.03.2026

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

4086. श्रीमती अनीता शुभदर्शिनी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत देश में सड़क संपर्क, दूरसंचार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के क्षेत्रों में कोई विकास कार्य किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने पीएमकेवीवाई तथा जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन किया है; यदि हाँ, तो उसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; तथा

(ग) पीएमकेवीवाई की वर्तमान क्रियान्वयन अवधि से आगे विस्तार का रोडमैप क्या है जिसमें वित्तपोषण, कवरेज और दायरे में वृद्धि शामिल है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन 2015 से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से अप-स्किलिंग तथा रि-स्किलिंग द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। वर्तमान में, पीएमकेवीवाई का वर्तमान संस्करण यानी पीएमकेवीवाई 4.0 कार्यान्वयन के अधीन है। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल उपलब्ध कराते हुए उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है।

पीएमकेवीवाई के तहत, 35 से अधिक क्षेत्रों में कुल 1.64 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है। कुल 3,15,014 उम्मीदवारों को निर्माण, दूरसंचार, हेल्थकेयर क्षेत्रों और करियर तथा शिक्षा परामर्शदाता की नौकरी की भूमिका में प्रशिक्षित किया गया है। विवरण इस प्रकार हैं:

(8 मार्च, 2026 तक)

क्षेत्र	पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत प्रशिक्षित व्यक्ति
निर्माण	66,982
दूरसंचार	1,27,106
हेल्थकेयर	1,16,776
करियर और शिक्षा परामर्शदाता	4,150

(ख): अक्टूबर, 2025 में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) द्वारा किए गए एक मूल्यांकन से पता चलता है कि सर्वेक्षण में शामिल लगभग 94% नियोक्ताओं ने पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नियुक्त करने की इच्छा व्यक्त की है। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि रोजगार प्रदान किए गए व्यक्ति या आरपीएल घटक के तहत उन्मुख 52% उम्मीदवारों ने अप्रमाणित साथियों की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त करने या बेहतर आय की उम्मीद करने की सूचना दी। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा आयोजित पीएमकेवीवाई 2.0 के एक स्वतंत्र मूल्यांकन में पाया गया कि सर्वेक्षण में शामिल लगभग 70.5% उम्मीदवारों को उनके वांछित कौशल क्षेत्र में रखा गया था। हाल ही में, 2025 में अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम) द्वारा आयोजित पीएमकेवीवाई 4.0 के अन्य पक्ष के मूल्यांकन में पाया गया कि पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण ने एसटीटी उम्मीदवारों के लिए रोजगार प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुल मिलाकर, सर्वेक्षण में शामिल एसटीटी प्रशिक्षुओं में से 70 प्रतिशत ने बेहतर रोजगार, तकनीकी कौशल, आत्मविश्वास या सॉफ्ट स्किल्स के मामले में पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण से लाभान्वित होने की बात स्वीकार की। आरपीएल के 79 प्रतिशत उम्मीदवारों ने बताया कि उन्हें पीएमकेवीवाई 4.0 मान्यता और प्रमाणन प्रक्रिया से लाभ हुआ है।

पीएमकेवीवाई के तहत, 31.12.2025 तक 8 लाख से अधिक अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है।

(ग): पीएमकेवीवाई 4.0 स्किल इंडिया कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वित्त वर्ष 2022-23 से कार्यान्वित योजना का वर्तमान संस्करण है। प्रशिक्षण प्रदाताओं को देय प्रशिक्षण लागत का निर्धारण कौशल विकास योजनाओं के लिए सामान्य मानदंडों के अनुसार किया जाता है, जैसा कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
